

गुण नं०:- 140/2023

तारीखरजु:- 15/9/23

उनवान:- मोतीराम बनाम जमकी  
दावा बाबत बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
15/9/23	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 03.10.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुनीता मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी</p>
3/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पाठारज अधिकारी <u>अप्रमत्त पर पधारे हैं</u> है। गतानुसार दिनांक 10.11.23 को पेश हो।</p>
10-11-23	<p>वकालत उपस्थित/वार की ओर से कार्य स्थगन रखा पाठारज अधिकारी <u>अप्रमत्त पर पधारे हैं</u> है। गतानुसार दिनांक 16-11-24 को पेश हो।</p>
16/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं 1, 2 की ओर से मनोज कुमार शर्मा एडव ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी नं 3, 6 के नोटिस तामीन स्कं के द्वारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बाबत सूचना कोई उपर नहीं हुआ। उक्त के बिना एव तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी है। एवं प्रतिवादी नं 4, 5 पैरोकार सरकार उपर। वास्ते बाबत पेश करने दिनांक 7.2.24 को पेश हो।</p>

4423-28  
15/9/23



फर्द आहकाम

7 अप  
रीय

पत्तापत्री पेश हुई। वकील उमममममकारण  
उपरीगल / वकील साहयवादी शिवाक 23/6/95  
को पेश है।

5  
8/5

पत्तापत्री पेश हुई। वकील उमममममकारण  
उपरीगल / वकील साहयवादी शिवाक 23/6/95  
को पेश है।

21  
8/5

पत्तापत्री पेश हुई। वकील उमममममकारण  
उपरीगल / वकील साहयवादी शिवाक 23/6/95  
को पेश है।

11  
2/5

पत्तापत्री पेश कारण के प्राथमिक पत्र से तबप  
की गई। उमममममकारण के उपरीगल और  
ठाटेरीका पर टिप्पणियाँ लिखे हुए टा-वापर  
प्राथमिक पत्र पेश किया। भी इस पक्षकारण  
के मध्य खलीनामा हो गया है। मुकदमा  
बादले लड़ना नहीं चाहते हैं। प्राथमिक पत्र  
का बालकोफन किया प्राथमिक पत्र स्वीकार  
किया जाय है। पत्तापत्री पेश कारण और  
नम्बर से काम कर डालिये डायर है।

मोहम्मद  
23/6/95  
उममममम  
मोहम्मद  
23/6/95